153

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर
समक्षः– श्री एम0के0 सिंह
सदस्य

प्रकरण क्रमांक निगरानी 2053–एक/2015 के विरूद्ध पारित आदेश दिनांक 12–06–2015 एवं 01–07–2015 के द्वारा अनुविभागीय अधिकारी, बासौदा, के प्रकरण क्रमांक 61/अपील/2014–2015

....

मुकेश कुमार पुत्र रामकिशन,
निवासी–नेहरू चौक गंज बासौदा,
जिला–विदिशा, म0प्र0

..............................आवेदक

विरूद्ध

भगत नारायण पुत्र अनोखेलाल,
निवासी– गंज बासौदा,
जिला– विदिशा, म0प्र0

........................अनावेदक

....

श्री चंद्रेश श्रीवातस्व, अभिभाषक, आवेदक
श्री धर्मेन्द्र चतुर्वेदी, अभिभाषक, अनावेदक

....

आदेश
(आज दिनांक 19.9.2016 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी, बासौदा द्वारा प्रकरण क्रमांक 61/अपील/2014–2015 में पारित आदेश दिनांक 30–10–2001 एवं 01–07–2015 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता 1959 (संक्षेप में आगे जिसे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण संक्षेप में यह है कि अनावेदक द्वारा वर्ष 1995 में विवादित भूमि के नामांतरण पंजी क्रमांक 30 के विरूद्ध 19 वर्ष बाद न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी, बासौदा के समक्ष आवेदक के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की गई । उक्त अपील में अनावेदक द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष 19 वर्ष के बाद बिना किसी आधार के तथा धारा 5 अवधि विधान के साथ

अपील प्रस्तुत की गई । न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी, बसौदा ने प्रकरण क्रमांक 61/अपील/2014–2015 दर्ज किया तथा दिनांक 12.06.2015 को आवेदक के विपक्ष में आदेश पारित किया गया एवं दिनांक 01.07.2015 को धारा 5 अवधि विधान के आवेदन पत्र का निराकरण किया गया । अनुविभागीय अधिकारी, बसौदा के इसी आदेश के विरूद्ध आवेदक द्वारा यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के अधिवक्ता द्वारा तर्क प्रस्तुत कर बताया कि आवेदक का विवादित भूमि पर नामांतरण सन् 1995 में पंजी पर सहमति के आधार पर होकर पंजी क्रमांक 30 पर से राजस्व रिकार्ड में बहैसियत भूमि स्वामी सन् 1995 से दर्ज होकर निरन्तर चला आ रहा है जो कि अनावेदक की जानकारी में पूर्व से रहा है । उक्त तथ्य को अंदेखा किया जाकर आदेश पारित किया है । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 12.06.2015 को बगैर रिकार्ड की जांच कराये एवं मांग पत्र जारी किये बिना आवेदक को स्वत्व टाईटिल कैसे प्राप्त हुआ, दस्तावेज पेश करने का आदेश अवैधानिक रूप से दिया गया है । नामांतरण पंजी क्रमांक 30 का अभिलेख अपीलीय न्यायालय द्वारा तलब नहीं किया गया है, जबकि उक्त अभिलेख तलब किया जाना आवश्यक था । उक्त नामांतरण पंजी के संबंध में मांग पत्र भी जारी नहीं किया गया है । अधीनस्थ न्यायालय को प्रकरण में सर्वप्रथम धारा 5 अवधि विधान के आवेदन पत्र का निराकरण किया जाना चाहिये था, जो कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नहीं किया गया । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधि के विपरीत होने से निरस्त किया जाये तथा निगरानी स्वीकार किया जावे ।

4/ अनावेदक के अभिभाषक द्वारा तर्क में वही तथ्य उठाये है जो अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उठाये गये थे । अतः उनके द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों के आधार पर ही प्रकरण का निराकरण किये जाने का निवेदन किया गया है ।

5/ मेरे द्वारा उभयपक्ष के अभिभाषक के तर्क श्रवण किये गये तथा अधीस्थ न्यायालय के अभिलेख का भलीभांति परिशीलन किया गया। प्रकरण में आवेदक के अभिभाषक द्वारा तर्क में बताया कि विवादित भूमि पर नामांतरण सन् 1995 में पंजी पर सहमति के आधार पर होकर पंजी क्रमांक 30 पर से राजस्व रिकार्ड में बहैसियत भूमि स्वामी सन् 1995 से दर्ज होकर निरन्तर चला आ रहा है । किन्तु आवेदक द्वारा पंजी क्रमांक 30 प्रस्तुत नहीं की गई है,

जिससे यह नहीं माना जा सकता की उक्त विवादित भूमि में पंजी क्रमांक 30 के आधार पर आवेदक का कब्जा है। अतः आवेदक का यह तर्क मान्य किये जाने योग्य नहीं है । अधीनस्थ न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी, बासौदा द्वारा इसी स्तर पर प्रकरण का निराकरण किया गया है । जहॉ तक धारा 5 अवधि विधान के आवेदन पत्र का प्रश्न है। इस धारा के अंतर्गत के दिन–प्रतिदिन के स्पष्टीकरण का उल्लेख किया गया है साथ ही इस धारा के तहत उदारतापूर्वक रूख अपनाते हुये कार्यवाही किये जाने का वर्णन किया गया है । मेरे मतानुसार अनुविभागीय अधिकारी, बासौदा द्वारा ऐसी कोई अनियमितता एवं अवैधानिकता नहीं की थी, जिसे प्रस्तुत पुनरीक्षक में हस्तक्षेप किया जाना आवश्यक होता । अनुविभागीय अधिकारी, बासौदा द्वारा वही किया गया जो न्याय की मंशा थी

6/ उपरोक्त विवेचना के परिप्रेक्ष्य में आवेदक के द्वारा प्रस्तुत निगरानी सारहीन होने से निरस्त की जाती है तथा अनुविभागीय अधिकारी, बासौदा अनुविभागीय अधिकारी, बासौदा द्वारा पारित आदेश दिनांक 12–06–2015 एवं 01–07–2015 स्थिर रखा जाता है । प्रकरण समाप्त होकर दाखिल रिकॉर्ड हो ।

(एम0के0 सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर